राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व वाद संख्याः 181/2025

जीसीएमएस संख्याः 2025/535

दायर दिनांकः 06.11.2025

1. विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल पूनिया जाति जाट निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.... प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 14.03.2026

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। खाता संख्या 394 वाके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ वादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि वादी का सही नाम विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल है। अन्य दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में भी वादी का सही नाम विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल ही अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के अन्य दस्तोवजों में वादी का सही नाम विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल अंकित है

जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज है। विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल व विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल दोनों एक ही व्यक्ति है। अलग–अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छांयाप्रति यथा आधार कार्ड आदि में वादी का नाम विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

वाद वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 394 में दर्ज खातेदार का नाम विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टियां तथा रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 181 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ हाजरी श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी का नाम रोही ग्राम गोपालपुरा के खाता संख्या 394 के राजस्व रिकोर्ड में विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल गलत अंकित है। वादी का सही नाम विनोद पूनिया पुत्र मोहन लाल है। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के उपर्युक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम दुरूस्त किया जाए। अन्य सभी प्रविष्टियां एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 14 माह 03 वर्ष 2026**

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये